

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/6/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रांश एवं राज्यांश मद में कुल ₹ 2,46,62,200/- (दो करोड़ छियालीस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उनके पत्रांक-1871 दिनांक-14.05.2026 के माध्यम से समर्पित अध्याचना के आलोक में विधि विभाग की निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केंद्रांश एवं राज्यांश मद में कुल ₹ 2,46,62,200/- (दो करोड़ छियालीस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि		व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि (केंद्रांश+ राज्यांश)
			(केंद्रांश 60%)	(राज्यांश 40%)	
01	सुपौल न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, निर्मली में 15 कोर्ट भवन (जी+4), 180 कैदी हाजत भवन (जी+1) एवं एमिनिटी भवन (जी+4) का निर्माण कार्य	3834/ 19.06.24	8305270 (तिरासी लाख पाँच हजार दो सौ सत्तर रुपये)	5536846 (पचपन लाख छत्तीस हजार आठ सौ छियालीस रुपये)	13842116 (एक करोड़ अड़तीस लाख ब्यालीस हजार एक सौ सोलह रुपये)
02	पटना व्यवहार नयायालय परिसर से सटा बार एसोसियेशन भवन (जी+3) का निर्माण कार्य	5277/ 08.06.22	5933211 (उनसठ लाख तैंतीस हजार दो सौ ग्यारह रुपये)	3955474 (उनचालीस लाख पचपन हजार चार सौ चौहत्तर रुपये)	9888685 (अठानवे लाख अठासी हजार छः सौ पचासी रुपये)
03	अनुमंडलीय व्यवहार नयायालय, बगहा (प० चंपारण) में 15 कोर्ट बिल्डिंग (जी+5), एमिनिटी बिल्डिंग (जी+2) एवं 180 कैदी हाजत भवन का निर्माण कार्य	570/ 12.08.16	558839 (पाँच लाख अठावन हजार आठ सौ उनचालीस रुपये)	372560 (तीन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ साठ रुपये)	931399 (नौ लाख इकतीस हजार तीन सौ निन्यानवे रुपये)
कुल राशि			14797320	9864880	24662200

(दो करोड़ छियालीस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0220-ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास, विपत्र कोड-03-4059800510220 के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0220.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी निर्माण भवन कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ, पटना से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई CFMS 2.0 के SNA SPARSH Module के माध्यम से किया जायेगा।

(सजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

६